

Central Goods & Services Tax Act, 2017

**Section 106 : <sup>1</sup>[Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority]**

The Authority or the Appellate Authority <sup>2</sup>[or the National Appellate Authority] shall, subject to the provisions of this Chapter, have power to regulate its own procedure.

---

- 
- 1 Substituted for heading "**Procedure of Authority and Appellate Authority**" by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.
  - 2 Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.

**धारा 106 : <sup>1</sup>[प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया]**

प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण <sup>2</sup>[या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] को इस अध्याय के उपबंधों के अध्याधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

---

- 1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा "प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।
- 2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।